MRAA THE THE THE THE THE THE GAZEtte of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] No. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2005/ज्येष्ठ 27, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2005/JYAISTHA 27, 1927

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2005

सं. एफ. 12-4/2000-के.हो.प. (पार्ट-I).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ), की धारा 33 के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिन्तायों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2005 होगा।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।
- 2. होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में, विनियम 14 के उप-खण्ड (iii) के अंत में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु इस प्रकार के कोई भी आदेश केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की सहमति के बिना नहीं दिये जायेंगे।''

डॉ. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

टिप्पणी: — मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-III खण्ड 4, में दिनांक 11-5-1983 को प्रकाशित किया गया जिसके पश्चात् एक शुद्धिपत्र 6-2-1984 को, एवं राजपत्र के उक्त अनुभाग में आगे संशोधन व शुद्धिपत्र क्रमशः दिनांक 25-9-2003 और 29-6-2004 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2005

No. F. 12-4/2000-CCH(Pt-I).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of Section 33 and Sub-section (1) of Section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983, namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) (Amendment) Regulations, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983, at the end of sub-clause (iii) of regulation 14, the following proviso shall be added namely:—

"Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Central Council."

Dr. LALIT VERMA, Registrar-cum-Secy.

Note: Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 11-5-1983 followed by a corrigendum dated 6-2-1984. and subsequent amendments and corrigendum were published in the said section of the Gazette on 25-9-2003 and 29-6-2004, respectively.